कार्यालय नजारत, जनपद न्यायालय, बाराबंकी
इश्तिहार नीलाम ठेका वर्ष 2016—17

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ठेको की नीलामी दि0 25.07.2016 को समय 4.00 बजे सायं जिला न्यायालय परिसर बाराबंकी में सम्पन्न होगी।

1.दुकान नं01, चाय,मीठा,नमकीन ए0डी0आर0 भवन के निकट निर्वाचन कार्यालय की बाउन्ड्री से सटाकर क्षेत्रफल 10X15 फिट।

2.दुकान नं02, चाय,मीठा,नमकीन, साइकिल स्टैण्ड, दीवानी ब्लाक पीपल पेड के पास क्षेत्रफल 10X15 फिट।

3.ठेका फ्रूट जूस, फलो का रस एवं फलो की चाट स्थित जिला जजी परिसर में चौकीदार निवास के निकट क्षेत्रफल 10X15 फिट।

4.ठेका फोटो स्टेट न्यायभवन के सामने क्षेत्रफल 10X15 फिट।

5..ठेका फोटो ग्राफी न्यायभवन के सामने क्षेत्रफल 10X15 फिट।

<u>नियम व शर्ते</u>

1. उक्त ठेको की बोली बोलने हेतु आवेदक को निर्धारित न्यूनतम धनराशि का 10 प्रतिशत राशि नकद प्रतिभू राशि दि0 24.07.2016 को जमा करनी होगी।

2. नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र तथा निवास प्रमाण—पत्र जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।, अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

3. ठेका की अवधि दि0 01.04.2016 से दि0 31.03.2017 तक होगी।

4. जिस भागीदार की बोली सबसे अधिक होगी, उसकी बोली स्वीकृत होने पर चार त्रैमासिक किश्तो में ठेका धनराशि देय होगी। जिसमे एक किश्त बोली स्वीकृत होने पर सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करनी होगी एवं व्यवसाय प्रराम्भ करने से पूर्व प्रथम किश्त जमा करनी होगी। द्वितीय किश्त, तृतीय किश्त व चौथी किश्त कार्यालय द्वारा निर्धारित तिथियो में देय होगी। चौथी किश्त न अदा करने पर पूर्व में जमा सिक्योरिटी मनी से जमा कर लिया जायेगा।

5. बोली दाता की बोली स्वीकार होने पर व्यवसाय प्रराम्भ करने से पूर्व स्टाम्प पेपर पर लीज डीड निष्पादित करना अनिवार्य होगा, तभी व्यवसाय प्रराम्भ कर सकेगा, किसी भी ठेकेदार को सडक पर व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी, ठेका स्थल की साफ सफाई की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, ठेकेदार खाद्यय पदार्थ की गुणवत्ता व साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेगे, साफ सफाई हेतु डेस्टविन का प्रयोग अवश्य करेंगे।

6.अद्योहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को निरस्त कर सकते है।

7. निर्धारित समय पर वांछित किश्त न जमा करने पर ठेका स्वयं निरस्त हो जायेगा। जिसके फलस्वरूप पुनः नीलामी में जो नुकसान होगा वह ठेकेदार की चल अचल सम्पत्ति से वसूला जायेगा तथा शेष जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

8. ठेकेदार को दुकान के अन्दर व बाहर साफ सफाई की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा सारा सामान बर्तन पानी आदि स्वच्छ रखना होगा।

9. ठेकेदार को प्रत्येक दुकान हेतु निर्धारित भूमि में ठेका अवधि तक के लिए अस्थाई निर्माण को अपने व्यय पर करना होगा तथा ठेका अवधि समाप्त होने पर उक्त अस्थाई निर्माण को अपने व्यय पर हटाना होगा।

10. ठेका पर नगर परिषद द्वारा कोई कर अध्यारोपित की जाती है तो उसकी अदायगी का उत्तरदायी स्वयं ठेकेदार का होगा।

11. ठेकेदार को दुकान पर रेट बोर्ड लगाना होगा, जो बाजार की दरो के अनुरूप होगा अथवा अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकृत किया हुआ होगा।

12. ठेकेदार द्वारा ठेके की शर्तो का ठेका अवधि में किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर ठेका अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

13. उपरोक्त दुकानो की क्रमवार बोली हेतु निर्धारित न्यूनतम धनराशि (पिछली बोली का 10 प्रतिशत मिलाकर) निम्नवत हैं।

1. दुकान नं01, चाय,मीठा,नमकीन —	रू0 33,000.00
2. दुकान नं02, चाय,मीठा,नमकीन —	रू0 44,000.00
3. ठेका फ्रूट जूस, —	रू0 21,175.00
4. ठेका फोटो स्टेट —	रू0 26,180.00
5. ठेका फोटो ग्राफी —	रू0 6,820.00

15.7.16

कृते जनपद न्यायाधीश,
बाराबंकी।

Nodal officer computer
Englis officer
upload this information
on NIC website of Hon'ble
High Court
15.7.16
OCJ(N)